आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
2	3

<u>उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।</u>

आर०एम०पी० वाद सं० 02/2016-17

ओम प्रकाश प्रमाणिक एवं अन्य -बनाम- बैजू सोनार

-: आदेश :-

03/2019 - यह मामला खासमहल मौजा-पोखरिया के जमाबंदी नं० 254 दाग नं० 145/523 में रकवा 6 कट्ठा 14 धूर भूमि की बिक्री अनुमति हेतु आवेदक से प्राप्त आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि माननीय सब जज, साहेबगंज के Titlle Suit No. 03/1999 (सुगो देवी -बनाम- बैजू सोनार) में दिनांक 26.04.2000 एवं Titlle (Ex.) No. 02/2008 (ओम प्रकाश प्रमाणिक -बनाम- बैजू सोनार) में दिनांक 29.04.2016 को पारित आदेशानुसार खासमहल प्राधिकार से भूमि का बिक्री अनुमति प्राप्त कर न्यायालय को प्रस्तुत करना है। उक्त आदेश के आलोक में भूमि का निबंधन हेतु बिक्री अनुमति दिया जाय।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। यह भूमि मौजा-पोखरिया खासमहल के अन्तर्गत है। उक्त भूमि के संबंध में न तो अनुमति प्राप्त है और न ही इसके लिए अनुमति आवेदन दिया गया है। ऐसे स्थिति में वाद की सुनवाई की कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

11/03/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner